न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद संख्या–246/2009

अरूण कुमार राय एवं अन्य...वादीगण
बनाम
मृतक शंभू राय के विधि वारिसान एवं अन्य...................................प्रतिवादीगण

30.08.2022 वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.12.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–01 मु0 नैन देवी की मृत्यु दिनांक 21.06.2021 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी संख्या–01 मु0 नैन देवी के विधिक वारिसान पहले से ही इस मुकादमे में पक्षकार है तथा प्रतिवादी सं0–03 ब्रजकिशोर राय की मृत्यु दिनांक 27.05.2021 को हो गयी। वे अपने पीछे अपनी पत्नी, दो लड़के व एक लड़की को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–01 मु0 नैन देवी का नाम कलमजद करने एवं प्रतिवादी सं0–03 ब्रजकिशोर राय का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है।

प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–01 मु0 नैन देवी एवं संख्या–03 ब्रजकिशोर राय की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण का आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है फिर भी न्याय हित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी संख्या–01 तथा प्रतिवादी सं0–03 का नाम कलमजद करें तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। अभिलेख दिनांक 22.11.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)